



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 4 जनवरी, 2016/14 पौष, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 31 दिसम्बर, 2015

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 36/2015.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पनौल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 88 (नया 103) को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित

करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	घुमारवीं	पनौल	640 / 1	0-1-0
			831 / 641 / 2 / 1	0-8-0
			833 / 643 / 1	0-1-12
			834 / 645 / 1	0-7-0
			834 / 645 / 2	0-3-0
			किता: 5	1-0-12

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अति० मुख्य (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2015

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 29/2015.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 88 (नया 103) पर पुल निर्माण एवं सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भूअर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	घुमारवीं	घुमारवीं	227	0-2
			228 / 2	0-4
			229 / 1	0-1
			229 / 2 / 3	0-1
			229 / 4 / 1	0-11
			617 / 554 / 234 / 1	0-1
			515 / 247 / 1	0-1
			250 / 1	0-15
			251 / 2 / 1	0-12
			किता: 9	2-8
जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	घुमारवीं	तड़ौन	978 / 1	1-5
			किता: 1	1-5
जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	घुमारवीं	भदरोग	342 / 1	0-2
			किता-1	0-2
जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	घुमारवीं	कलरी	122 / 63 / 1	0-12
			किता-1	0-12
जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	घुमारवीं	पेहड़वीं	4 / 1	0-5
			किता-1	0-5

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	घुमारवीं	सेऊ	120 / 1	0-11
			किता-1	0-11
जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा-विस्वा में)
बिलासपुर	भराड़ी	दधोल खुर्द	448 / 439 / 1	0-6
			341 / 1	0-11
			किता-2	0-17

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
अति० मुख्य (लोक निर्माण)।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

Armsdale Building Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

Email: secysec-hp@nic.in secysechp@gmail.com

NOTIFICATION

Dated the 02nd Jan., 2016

No. SEC (13) 6 /2015-182-91.—In exercise of the powers vested in it under Article 243 Z A of the Constitution of India, Section 9 (1) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994, read with Sub Rule (1) of Rule 30 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules 2012, the State Election Commission Himachal Pradesh do hereby appoints the Deputy Commissioner Kangra at Dharamsala as Returning Officer in respect of Elections to Municipal Corporation Dharamsala District Kangra Himachal Pradesh.

Above officer shall exercise all the powers vested under provisions of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Elections) Rules, 2012 and all other powers enabling in this behalf for the conduct of elections of the Municipal Corporation Dharamsala Districts Kangra of Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-

*State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.*

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

Armsdale Building Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

Email: secysec-hp@nic.in secysechp@gmail.com

NOTIFICATION

Dated the 02nd Jan., 2016

No. SEC (13) -7 /2015-195-204.—In exercise of the powers vested in it under Article 243 Z A of the Constitution of India, Section 9 (1) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act

1994, read with Sub Rule (1) (e) of Rule 16 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules 2012, the State Election Commission Himachal Pradesh do hereby notifies the **First day of January, 2016 (01-01-2016)** as the date for determining whether a person is qualified to be enrolled as an elector in the **Electoral Rolls** to be prepared for the conduct of elections to Municipal Corporation Dharamsala District Kangra Himachal Pradesh during the year, 2016 for determining whether he /she is not less than 18 years of age on this date.

By order,
(T. G. NEGI)
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
Armsdale Building Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
Email: secysec-hp@nic.in secysechp@gmail.com

NOTIFICATION

Dated the 02nd Jan., 2016

No. SEC (13) -7 /2015-169-178.—In exercise of the powers vested in it under Article 243 Z A of the Constitution of India, Section 9 (1) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994, read with Sub Rule (1) (x) of Rule 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules 2012, the State Election Commission Himachal Pradesh do hereby appoints the Deputy Commissioner Kangra at Dharamsala as Electoral Registration Officer for the preparation of electoral rolls in respect of Municipal Corporation Dharamsala, District Kangra Himachal Pradesh.

By order,
(T. G. NEGI)
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
आर्मजडेल विलडिंग-171002, Armsdale Building Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
Email –secysec-hp@nic.in, secysechp@gmail.com

ORDER

Dated the 2nd January, 2016

No. SEC. 16-70/2014-I-20-23.—Whereas, the State Election Commission has issued election programme for the conduct of elections to Panchayati Raj Institutions in the State of Himachal Pradesh under Rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Election Rules, 1994;

And whereas, the District Election Officer (Panchayat) Shimla had issued a notice for the conduct of above elections under Rule, 33 of the ibid Rules and has fixed the date of poll in Gram Panchayat Badhal Development Block Jubbal & Kotkhai District Shimla on 01/01/2016 in respect of all office bearers of PRIs;

And whereas, the District Election Officer (Panchayat) Shimla has informed vide its letter no PCH – SML (General Elections) 2015-14085 dated 01.01.2016 at 3.03 pm that 29 ballot papers for the post of Pradhan Gram Panchayat Badhal were stolen just before the start of the poll. It was further added that out of the 29 stolen ballot papers, as much as 22 ballot papers were recovered and 7 ballot papers were still not recovered and the Returning Officer has cancelled all above 29 ballot papers issued to the polling party and new ballot papers were issued in place of above;

And whereas, the matter was placed before the State Election Commission and after examining all aspects and taking all material circumstances into account the Commission has arrived at a conclusion that an Electoral Offence has been committed and in such circumstances the result for the post of Pradhan cannot be ascertained fairly. Further, it is apprehended that stolen ballot papers may be inserted in the ballot box kept for the purpose of insertion of ballot papers pertaining to Members of Panchayat Samiti and Zila Parishad;

In view of facts submitted herein above the electoral process in respect of all the offices pertaining to Gram Panchayat Badhal have been vitiated. Therefore, the State Election Commission in exercise of the Powers vested in it under Article 243-K of the Constitution of India, Section 160 of the H.P.Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule, 32 (5) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Rules, 1994, hereby invalidates the process for the conduct of poll and further order that polling in respect of all the offices of Panchayati Raj Institutions pertaining to Gram Panchayat Badhal shall be undertaken afresh on 5th January, 2016 from 7.00 am to 3.00 pm. The counting in respect of all the office bearer of Gram Panchayat shall be done immediately after the polling is over at the Gram Panchayat Headquarters and counting in respect of Panchayat Samiti and Zila Parishad Members shall be undertaken as per schedule already notified.

Further, the District Election Officer (Panchayat) Shimla is hereby directed to issue revise notice under Rule 33 and also make wide publicity of fresh poll in the respective Panchayat by announcement through loudspeaker and beat of drum. The indelible ink will be marked on the right hand fore-finger of the voters. The provisions of Act and Rules or orders/directions made there under by the Commission shall apply to fresh poll as they apply to the original poll.

By order,
Sd/-

*State Election Commission,
Himachal Pradesh.*

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मजडेल विलडिंग-171002, Armdale Building Shimla-171002 Tel. 01772620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
Email –secysec-hp@nic.in, secysechp@gmail.com

ORDER

Dated the 2nd January, 2016

No. SEC. 16-70/2014-I- 209-216.—Whereas, the State Election Commission has issued election programme vide notification number SEC 16-70/2014-I-6136-6296 dated 05.12.2015, for

the conduct of elections to Panchayati Raj Institutions in the State of Himachal Pradesh under Rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Election Rules, 1994;

And whereas, the District Election Officer (Panchayat)-cum-Deputy Commissioner Una had issued a notice for the conduct of above elections under Rule, 33 of the ibid Rules and had fixed the date of poll in Gram Panchayat Badoh, Development Block Gagret, District Una on 01/01/2016 in respect of all office bearers of PRIs;

And whereas, the District Election Officer (Panchayat) Una has informed vide its letter no PCH – SML (General Elections) 2015-14085 dated 02.01.2016 at 2.13 a.m. and the report of Returning Officer (Panchayat) – cum – Sub Divisional Magistrate, Amb, District Una vide its letter number DEG –Panch- Election 2015-16 – 8679 -81 dated 02.01.2016, informed State Election Commission that incident of violence has been reported by ARO (Badoh) Una. The report of RO and ARO mentioned that when counting of votes for the post of Pradhan was in process, some people tried to rush into the counting hall. During this two people intruded into the counting hall and pushed the ARO away and fled away. Subsequently, it was found that as many as 50 number of polled ballot papers of Pradhan post were missing. It was further mentioned that the ARO had declared the results of ward members and Up Pradhan of Badoh Panchayat. However, the result for the post of Pradhan was not declared. After receiving the report Returning Officer- cum-SDM, Amb, District Una, rushed to the spot with police force and rescued the polling party safely. As the ballot papers for the post of Pradhan were missing, the result of the Pradhan was not declared. He also stated that FIR has been lodged in this regard.

And whereas, the Commission has also received a report from the Election Observer Development Block Gagret, Dr. Pardeep Kumar Sharma, stating that in Gram Panchayat Badoh, election for the post of Pradhan, Up Pradhan and for the post of three ward members were held. The Process for counting of votes was going on peacefully and result for the post of three ward member and UP- Pradhan was declared. Counting of votes for the post of Pradhan was also almost complete and result was compiled on Form 34 by the ARO. At that time some people tried to rush into the counting hall and police tried to stop them. However, some of them managed to intrude into the Counting Hall. They later fled away from the Hall. When recounting of votes was carried out by the ARO it was found that 50 numbers of polled ballot papers of Pradhan's post were missing. The ARO had immediately informed the returning officer and the Police. FIR was also register in this regard.

And whereas, the State Election Commission after examining all aspects of the incident and taking all material circumstances into account, the Commission has arrived at a conclusion that an Electoral Offence has been committed under section 158 O & P of the HP Panchayati Raj Act, 1994 and in such circumstances the result for the post of Pradhan could have not been ascertained fairly. The public interest expects and demands a fair, transparent, free Elections.

In view of above facts it is evident that the electoral process in respect of the post of Pradhan Gram Panchayat Badoh has been vitiated. Therefore, the State Election Commission in exercise of the Powers vested in it under Article 243-K of the Constitution of India, Section 160 of the H.P.Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule, 32 (5) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Rules, 1994, hereby invalidates the process for the conduct of poll of the post of Pradhan Gram Panchayat Badoh, Sub Division Amb, District Una and further orders that polling for the post of Pradhan only in Gram Panchayat Badoh, Sub Division Amb District Una shall be undertaken afresh on 5th January, 2016 from 7.00 am to 3.00 pm. The counting of votes shall be done immediately after the polling is over at the Gram Panchayat Headquarters. However, the process of the election for the post of ward members, UP Pradhan for which result had already been declared prior to the occurrence of said incidence stands completed and shall remain valid.

Further, the District Election Officer (Panchayat) Una is hereby directed to issue revised notice under Rule 33 and also make wide publicity of fresh poll in the respective Panchayat by announcement through loudspeaker and beat of drum. The indelible ink will be marked on the right hand fore-finger of the voters. The provisions of Act and Rules or orders/directions made there under by the Commission shall apply to fresh poll as they apply to the original poll.

By order,
Sd/-
State Election Commission,
Himachal Pradesh.

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मि० नं० : 17/13 of 2015

तारीख दायरा : 24-07-2015

तारीख पेशी : 16-02-2016

श्री काला राम सपुत्र डेलो राम, निवासी गांव जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि० प्र०

बनाम

आम जनता

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

श्री काला राम सपुत्र डेलो राम, निवासी गांव जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि० प्र० ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा सही नाम काला राम है जबकि राजस्व कागजात माल मौजा जमथल में उसका नाम कालू लिखा है। जो कि गलत नाम दर्ज है।

अतः इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-02-2016 को असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 29-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव कण्डा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी रीता देवी की जन्म तिथि 22-1-1986 है, जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-01-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी गांव बाथरी, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री नन्द लाल व माता श्रीमती सत्या देवी की मृत्यु तिथियां क्रमशः 20-07-1979 व 7-11-1993 है, जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता श्री नन्द लाल व माता श्रीमती सत्या देवी की मृत्यु तिथियां ग्राम पंचायत बाथरी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-01-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री वरुण कुमार पुत्र श्री वोमेश कुमार, निवासी गांव बाथरी, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी वरुण कुमार की जन्म तिथि 19-9-1996 है, जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी (वरुण कुमार) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-01-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री लक्षित सोनी पुत्र श्री के0 के0 सोनी, निवासी होटल सागरिका, कोर्ट रोड डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री युक्ति सोनी की जन्म तिथि 9-11-2010 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री युक्ति सोनी की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-01-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बअदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री दीपक पुत्र श्री जीत बहादुर, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर समलेऊ, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 15-02-1996 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-01-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री झग बहादुर पुत्र श्री जीत बहादुर, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर समलेऊ, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 18-02-1993 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-01-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री संदीप पुत्र श्री जीत बहादुर, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर समलेऊ, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 23-02-1997 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-01-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**In the Court of Dr. Richa Verma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba**

In the matter of :—

1. Shri Sudesh Kumar Age 27 year, son of Shri Chuni Lal, resident of VPO Sherpur, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.).

2. Monika Devi Age 22 years, d/o Shri Rattan Chand, r/o VPO Sherpur, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.).
.. Applicants.

Versus

General Public

Subject:—Application for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Sudesh Kumar and Monika Devi have filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 23-11-2015 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 14-01-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

RICHA VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Dr. Richa Verma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba**

In the matter of :—

1. Shri Atul Thakur Age 29 year, son of Shri Tilak Raj, r/o VPO Banikhet, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.).
2. Manisha Bhandari Age 23 years, d/o Shri Sahab Singh, r/o VPO Rajnagar, Tehsil & District Chamba (H.P.). . . Applicants.

Versus

General Public

*Subject:—*Application for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Atul Thakur and Manisha Bhandari have filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 30-04-2015 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 14-01-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

RICHA VERMA,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्रीमती रानी देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री स्वर्ण कुमार, निवासी के० बी० धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अशीष अरोड़ा की जन्म तिथि 29-09-1978 है परन्तु एम० सी० Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अशीष अरोड़ा की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो

तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-1-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 17/2015

तारीख दायर : 16-12-2015

तारीख पेशी : 15-01-2016

शीर्षक.—वलवीर सिंह पुत्र श्री तरलोक चंद, निवासी गांव व डाकघर भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र अधिन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री साईना का जन्म गांव व डाकघर भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 01-08-2012 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इशतहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा तथा साईना पुत्री वलवीर सिंह के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत नौरा को पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 15-01-2016

उनवान मुकदमा:—दरखास्त बावत तस्दीक करने ईन्तकाल मकफूल उलखबरी।

श्रीधर उपनाम ज्ञान चंद पुत्र प्रधाना पुत्र मसदी, निवासी महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीधर उपनाम ज्ञान चंद पुत्र प्रधाना पुत्र मसदी, निवासी महाल ठिरक मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना पत्र इस अदालत में दायर किया है कि उसका भाई प्रेम सिंह पुत्र प्रधाना पुत्र मसदी, निवासी महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 लगभग 70 वर्ष से घर से लापता है। काफी तलाश करने पर आज तक उसका कोई पता नहीं चला है और जाहिर किया गया कि अब उक्त उसका भाई प्रेम सिंह पुत्र प्रधाना पुत्र मसदी शायद जीवित न हो तथा उसकी वरास्त वजरिया मकफूल उल खबरी उसके जायज वारसान के नाम तस्दीक करनी चाही है।

इस बारे सर्वसाधारण को ईशतहार तथा मुस्त्री द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ईन्तकाल मकफूल उल खबरी दर्ज करने बारे किसी भी आम या खास को कोई उजर या एतराज हो तो वह अदालत में तिथि 15-01-2016 को हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा। अतः उक्त प्रेम सिंह पुत्र प्रधाना राम पुत्र मसदी, निवासी महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के वारिसों के नाम ईन्तकाल मकफूल-उलखबरी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत दमोदर दास कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री दया राम, निवासी बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री दया राम, निवासी गांव बीड़, डाकखाना बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र वौवी कुमार का जन्म दिनांक 03-04-1998 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में अदालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

दमोदर दास,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री दमोदर दास कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री बालक राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी चौविन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बालक राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव चौविन, डाकखाना चौविन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सीमा देवी का जन्म दिनांक 11-11-1979 को महाल चौविन में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

दमोदर दास,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री सोम देव शाशनी पुत्र स्व0 श्री शाम दास, निवासी द माल मनाली, तहसील मनाली, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री सोम देव शाशनी पुत्र श्री स्व0 श्री शाम दास, निवासी द माल मनाली, तहसील मनाली, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री पवना कुमारी का जन्म दिनांक 07-12-1974 को मनाली में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पवना कुमारी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-01-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रंजित कौर पत्नी श्री हीरा लाल पॉल, निवासी गृह संख्या 75, वार्ड नं0 3, गुरुद्वारा रोड़, मनाली, तहसील मनाली, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्रीमती रंजित कौर पत्नी श्री हीरा लाल पॉल, निवासी गृह संख्या 75, वार्ड नं0 3, गुरुद्वारा रोड़, मनाली, तहसील मनाली, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अरुण कुमार पॉल का जन्म दिनांक 18-07-1972 को मनाली में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरुण कुमार पॉल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-01-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय वहादुर पुत्र श्री राम वहादुर निवासी दारु—उल—फजल शुरु डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री विजय वहादुर पुत्र श्री राम वहादुर निवासी दारु—उल—फजल शुरु डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, हि० प्र० ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रेविका आशा का जन्म दिनांक 27-08-2000 को शुरु में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणी के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रेविका आशा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-01-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

देवी सिंह

प्रार्थी

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ईशतहार/उद्घोषणा बनाम आम जनता

श्री देवी सिंह पुत्र श्री भेंगू राम, निवासी छतर, तहसील जोगिन्दरनगर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 22-11-1958 को गांव छतर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत मसोली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है। जिसे दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस ईशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थी का जन्म दिनांक 22-11-1958 ग्राम पंचायत मसोली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर या ऐतराज हो तो वह दिनांक 11-01-2016 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असातन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-12-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जोगिन्दर नगर।

**In the court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Rural,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Hem Singh s/o Shri Ratti Ram, r/o V.P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.
2. Smt. Meenakshi Devi d/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Gehar, P.O. Saperu, Tehsil Palampur, District Kangra, H. P. {At present wife of Shri Hem Singh s/o Shri Ratti Ram, r/o V.P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.} . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Hem Singh s/o Shri Ratti Ram, r/o V.P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P. and Smt. Meenakshi Devi d/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Gehar, P.O. Saperu, Tehsil Palampur, District Kangra, H. P. {At present wife of Shri Hem Singh s/o Shri Ratti Ram, r/o V.P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.} have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-03-2014 according to Hindu rites and customs at Tarna Devi Temple Mandi, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-01-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th day of December, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Rural) District Mandi.*

**In the court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Urban,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Mr. Emanoil Petronel Stratulat s/o Mr. Mihail Stratulat, r/o Str. 1 Decembrie Block 15, Sc.1, Apartment 11, Balam Jud. Harghita Romania-535200 (At present r/o 4, Landleys Fields, Hargrave Place, London, U.K., Post Code-N7 0BS).

2. Ms. Tanya Narula d/o Mr. Jasvinder Singh Narula, r/o H.No.151/7, Bhootnath Bazar, Mandi Town, District Mandi, H. P.(At present r/o H.No. 259/6, Samkhetar Bazar, Mandi Town, District Mandi H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of intended Marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Mr. Emanoil Petronel Stratulat s/o Mr. Mihail Stratulat, r/o Str. 1 Decembrie Block 15, Sc.1, Apartment 11, Balam Jud. Harghita Romania-535200 (At present r/o 4, Landleys Fields, Hargrave Place, London, U.K., Post Code-N7 0BS) and Ms. Tanya Narula d/o Mr. Jasvinder Singh Narula, r/o H.No.151/7, Bhootnath Bazar, Mandi Town, District Mandi, H. P.(At present r/o H.No. 259/6, Samkhetar Bazar, Mandi Town, District Mandi H.P.) have presented a notice in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they are intending to marry within three calendar months and hence their marriage may be solemnized and registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-01-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be accordingly solemnized & registered.

Issued today on 26th day of December, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban) District Mandi.*

ब अदालत श्री केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बद्दी, जिला सोलन, हि० प्र०

मुकदमा नं० : 29/2015

तारीख रजुआ : 30-10-2015

श्री करनैल सिंह पुत्र श्री फितु राम, निवासी वार्ड नं०-09, बिलावाली लबाना, तहसील बद्दी, जिला सोलन हि० प्र० वादी

बनाम

ग्राम पंचायत/नगर परिषद्, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन हि० प्र०

प्रतिवादी

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता

उपरोक्त मुकदमा उनवान वाला में आम जनता व हर आम/खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री करनैल सिंह पुत्र श्री फितु राम, निवासी वार्ड नं०-09, बिलावाली लबाना, तहसील बद्दी,

जिला सोलन हि0 प्र0 वादी ने इस अदालत में अपने बच्चे का नाम व जन्म इन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	नाम	रिश्ता	जन्म तिथि
1.	रीता	पुत्री	20-12-1995

उक्त की जन्म तिथि का ग्राम पंचायत/नगर परिषद् बद्दी, तहसील बद्दी के रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दायर किया है। यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि का पंजीकरण होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 12-01-2016 या इससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-12-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़,
जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकदमा नं0 13/15

श्री जोगिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गरजा राम, निवासी अम्बवाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र दलबीर सिंह का जन्म दिनांक 18-11-1991 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत बगलैहड में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दलबीर सिंह की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-1-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-12-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20.....

श्री अशीश कौशल पुत्र श्री मधुसूदन कौशल, जात खत्री, गांव मैहतपुर, डा0 मैहतपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अशीश कौशल पुत्र श्री मधुसूदन कौशल, जात खत्री, गांव मैहतपुर, डा0 मैहतपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 30-01-2015 को श्रीमती सुजाता कौशल पुत्री श्री अशोक कुमार, जात खत्री, गांव झलेड़ा, डाकघर रैन्सरी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण मैहतपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण मैहतपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20.....

श्री हिम्मत राज पुत्र श्री करतार चन्द, जात चमार, गांव जनकौर, डा0 जनकौर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री हिम्मत राज पुत्र श्री करतार चन्द, जात चमार, गांव जनकौर, डा0 जनकौर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 07-11-2013 को श्रीमती परमजीत कौर पुत्री श्री हरमेश चन्द जात चमार, गांव पोलियां वीत, डाकघर पोलियां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण जनकौर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण जनकौर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 21-01-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20.....

श्री मुकेश कुमार सोहड़ पुत्र श्री बाल कृष्ण सोहड़, जात ब्राह्मण, गांव अजोली, डा0 अजोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री मुकेश कुमार सोहड़ पुत्र श्री बाल कृष्ण सोहड़, जात ब्राह्मण, गांव अजोली, डा0 अजोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 16-04-2014 को श्रीमती निधि शर्मा पुत्री श्री सुरेश चन्द, जात ब्राह्मण, गांव कथेड़ा, डाकघर प्रताप नगर, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के

कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण अजोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण अजोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।